फा.सं.1 4013/01/2016-रा.भा.(नीति)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

एन.डी.सी.सी.-।। बिल्डिंग,'बी'विंग, चौथी मंजिल,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली, दिनांक 03 मार्च, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/बैंकों आदि द्वारा विज्ञापनों पर खर्च की जाने वाली राशि के संबंध में ।

राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 2 जुलाई, 2008 को जारी किए गए संकल्प सं. I/20012/07/ 2005-रा.भा.(नीति) के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति के आठवें खण्ड में की गई शिफारिशों के क्रम सं. 70 में मंत्रालयों/विभागों द्वारा विज्ञापनों पर प्राप्त बजट की कुल राशि के संबंध में निम्नलिखित आदेश जारी किए गए हैं:-

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा की गई सिफारिश	**माननीय राष्ट्रपति जी के आदेश**
विज्ञापन की कुल राशि का न्यूनतम 50% हिंदी पर खर्च किया जाए और 50% अंग्रेजी एवं प्रांतीय भाषायों पर किया जाए ।	सिफारिश इस संशोधन के साथ मान ली जाए कि सरकारी विज्ञापन की कुल राशि का एक निश्चित प्रतिशत केन्द्रीय मंत्रालय/ विभाग अपनी आवश्यकतानुसार हिंदी तथा अंग्रेजी में दिए जाने वाले विज्ञापनों के संबंध में निर्धारित करें ।

2. सभी मंत्रालयों/विभागों/निगमों/स्वायत्त निकायों/कार्यालयों से अनुरोध है कि राष्ट्रपति जी के उक्त आदेश के अनुपालन में अपने मंत्रालय/विभाग/निगम/स्वायत्त निकाय/कार्यालय/बैंकों द्वारा विज्ञापनों पर खर्च की जाने वाली राशि का प्रतिशत संबंधी नीति निर्धारित करें और **इसकी सूचना राजभाषा विभाग को एक माह के अन्दर भिजवाने का कष्ट करें ।**

(डा. श्रीप्रकाश शुक्ल)
संयुक्त निदेशक (नीति)

प्रति:

1. सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (राजभाषा अध्यक्ष) ।
2. निदेशक, तकनीकी (एनआईसी) से अनुरोध है कृपया इसे राजभाषा विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवा दें ।